राष्ट्रसंघ की स्थापना की शुरुआत

1. प्रस्तावना एवं शुरुआती प्रयास (1916 - 1918)

सन 1916 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने दुनिया में शांति और न्याय बनाए रखने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संघ बनाने का विचार रखा था। प्रथम विश्व युद्ध की भयंकर विभीषिका और अपार जन-धन की हानि को देखते हुए वैश्विक स्तर पर एक ऐसी संस्था की आवश्यकता महसूस की जाने लगी, जो भविष्य में देशों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकाल सके और ऐसे महायुद्धों की पुनरावृत्ति को रोक सके।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 22 जनवरी, 1917 को उन्होंने अमेरिकी संसद के सामने 'शांति के लिए विश्व संघ' का औपचारिक प्रस्ताव रखा। इसके बाद 8 जनवरी, 1918 को विल्सन ने अपनी प्रसिद्ध 'चौदह सूत्रीय शांति योजना' (Fourteen Points) पेश की, जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप और दुनिया में दीर्घकालिक शांति स्थापित करना था। इस ऐतिहासिक योजना का अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु राष्ट्रसंघ (League of Nations) की स्थापना के बारे में था। तत्पश्चात 1 सितंबर, 1918 को उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि राष्ट्रसंघ का नियम भविष्य के सभी शांति समझौतों और संधियों का मुख्य एवं अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए।

2. पेरिस शांति सम्मेलन और रूपरेखा का निर्माण

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात आयोजित पेरिस शांति सम्मेलन में संघ के गठन को मूर्त रूप देने के लिए कई देशों द्वारा विभिन्न योजनाएं और प्रारूप प्रस्तुत किए गए। इनमें मुख्य रूप से ब्रिटेन की योजना और अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन द्वारा तैयार किया गया प्रारूप सबसे अधिक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक थे। इन दोनों प्रमुख योजनाओं ने राष्ट्रसंघ के वैधानिक और प्रशासनिक ढांचे का मजबूत आधार तैयार किया।

विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी एक विशेष समिति ने इन सभी योजनाओं और प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श किया तथा 14 फरवरी को राष्ट्रसंघ का अंतिम प्रारूप तैयार किया। लंबी चर्चाओं और संशोधनों के बाद 28 अप्रैल, 1919 को शांति सम्मेलन में इसे आधिकारिक तौर पर मंजूरी मिल गई और अंततः 10 जनवरी, 1920 से यह पूरी तरह प्रभावी होकर लागू हो गया।

3. राष्ट्रसंघ के मुख्य उद्देश्य एवं इतिहासकारों के दृष्टिकोण

राष्ट्रसंघ की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना था, ताकि विश्व के देश आपसी विवादों को युद्ध के बजाय कूटनीतिक वार्ताओं के माध्यम से हल करें। इस संस्था के प्रभाव और महत्व को स्पष्ट करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार लिप्सन लिखते हैं:

"व्यक्तिगत लड़ाई के बजाय मिलकर काम करने की भावना से लीग ने दुनिया के लोगों को सुरक्षा दी, ताकि वे झगड़े के बजाय शांति के बारे में सोच सकें। राष्ट्रसंघ का मुख्य उद्देश्य लोगों की युद्ध वाली सोच को बदलकर शांति वाली सोच में ढालना था।"

4. वैचारिक प्रभाव एवं महत्व

राष्ट्रसंघ आधुनिक कूटनीति के इतिहास में पहला ऐसा वैश्विक संगठन था जिसे सार्वभौमिक शांति की स्थापना के लिए संस्थागत रूप दिया गया था। यद्यपि बाद की राजनीतिक परिस्थितियों और द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में असमर्थता के कारण यह अपने उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में संघर्ष करता दिखा, तथापि इसने अंतरराष्ट्रीय संगठन के विचार को पुख्ता किया। इस संस्था के अनुभवों और असफलताओं से सीख लेकर ही आगे चलकर संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) की नींव रखी गई, जो आज भी वैश्विक शांति और सहयोग के लिए कार्य कर रहा है।